निविदा सूचना

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी– 66 दिनांक 09 अप्रैल 2019 एवं जिलाधिकारी आजमगढ़ के अनुमोदन के क्रम में इस जनपद के संचालित 23 परियोजनाओं में से 15 परियोजनाओं (जहानागंज, तहबरपुर, महराजगंज, सठियांव, तरवां, बिलरियागंज, पल्हनी, ठेकमा, कोयलसा, मिर्जापुर, फूलपुर, अतरौलिया, पल्हना, मेंहनगर, पवई) हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के शेष महीनों के लिये शासकीय कार्यों के सम्पादन हेतु परियोजनावार टैक्सी परमिटयुक्त (व्यवसायिक उपयोग के परमिटयुक्त वाहन) वाहन किराये पर (मार्शल, बोलेरो, सुम्मो, स्कार्पियो) लेने हेतु इच्छुक अनुभवी एवं प्रतिष्ठित एजेन्सी / फर्म / वाहन स्वामी से मुहरबन्द (तकनीकी एवं वित्तीय, ई–टेण्डरिंग) निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। किराये पर लिये जाने वाले वाहन पर पूरे वित्तीय वर्ष में (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) निर्धारित है, जिसमे समस्त व्यय सम्मिलित है। इच्छुक वाहन प्रदाता एजेन्सी / फर्म / वाहन स्वामी, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय विकास भवन आजमगढ़ से दिनांक 04 जून 2019 से दिनांक 15 जून 2019 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक शुल्क रूपये एक सौ मात्र जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। निविदा की सूचना जनपद आजमगढ़ की वेबसाइट www.azamgarh.nic.in के अन्तर्गत Tender Link में DPO (ICDS) Tender नाम से भी उपलब्ध है। इस लिंक से भी प्रारूप डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव के साथ रू0 100–00 बैंक ड्राफट / बैंकर्स चेक पृथक से जमा करना अनिवार्य होगा। शेष नियम एवं शर्तें निविदा प्रपत्र पर अंकित है।

निविदायें दिनांक 17 जून 2019 को अपरान्ह 01:00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी, इसके पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नही किया जायेगा। प्राप्त निविदाओं को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 17 जून 2019 को अपरान्ह 02:00 बजे खोला जायेगा।

अधोहस्ताक्षरी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये निविदाओं को स्वीकार / अस्वीकार कर सकते हैं। निविदा से सम्बन्धित कोई भी संशोधन, परिवर्तन का अधिकार जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ में निहित होगा।

(इफ्तेखार अहमद)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़

कार्यालय– जिला कार्यक्रम अधिकारी, आजमगढ़।

पत्रांक ली 278 / जि0का0का0 / 2019–20 दिनांक 3 जून, 2019

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3– मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
4– जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को सी0डी0 सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति प्रारूप (हस्ताक्षरित हो), एन0आई0सी0 की वेबसाइट www.azamgarh.nic.in के अन्तर्गत Tender Link में DPO (ICDS) Tender नाम से अपलोड कर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
5– सम्पादक "दैनिक जागरण" व "हिन्दुस्तान" जनपद आजमगढ़ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त का प्रकाशन न्यूनतम दर एवं कॉलम में प्रकाशित कराने के साथ ही बिल भुगतान हेतु दो प्रतियों में प्रस्तुत करें।
6– समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद आजमगढ़।
7– कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
आजमगढ़

निविदा मूल्य : 100/–

वाहन किराये पर लिये जाने हेतु निविदा–प्रपत्र (ई–टेण्डरिंग) वित्तीय वर्ष 2019–20

आवेदित परियोजना/विकास खण्ड का नाम–..

1– एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी का नाम–..

2– एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी का पता व मो0नं0–..

....

3– वाहन का नाम, मॉडल वर्ष व उसमे प्रयुक्त होने वाले ईंधन का नाम–..

4– वाहन में उपलब्ध सीटों की संख्या–..

5– वाहन पंजीयन सं0 (पंजीयन, प्रदूषण मुक्त एवं टैक्सीपरमिट/व्यवसायिक उपयोग के परमिटयुक्त वाहन संलग्न करें)–..

6– वाहन का बीमा नं0 व बीमित अवधि–..

7– दर प्रति कि0मी0 (वाहन से सम्बन्धित समस्त व्ययों/करों को सम्मिलित करते हुये) एवं माह में तय की जाने वाली दूरी (कि0मी0)–..

8– टैक्सी परमिट की वैधता..

नियम व शर्तें

1– वाहन को एक या एक से अधिक परियोजना में लगाया जा सकता है। बजट की उपलब्धता के आधार पर एक माह में अधिकतम रू0 20833–00/वाहन द्वारा तय की गई दूरी के अनुसार ही भुगतान किया जायेगा। नियमानुसार समस्त भुगतान पर आयकर/जी0एस0टी0 की कटौती श्रोत पर की जायेगी।

2– किराये हेतु अंकित की जा रही दरों में समस्त ईंधन व्यय, चालक व्यय के साथ–साथ अन्य समस्त व्यय सम्मिलित होगें, अलग से कोई धनराशि देय न होगी।

3– बिल के समर्थन में वाहन की प्रतिदिन भरी गई लॉगबुक प्रस्तुत करनी होगी तथा बिना किसी पूर्व सूचना के वाहन एवं वाहन चालक नहीं बदला जायेगा।

4– वाहन अथवा चालक की अनुपलब्धता की स्थिति में तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था किया जाना अनिवार्य होगा।

5– धरोहर राशि के रूप में रू0 2000/– का बैंक ड्राफ्ट जो कि "जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़" के पक्ष में बंधक होगा, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा खोले जाने के उपरान्त असफल निविदादाता को एक सप्ताह में उनकी धरोहर राशि वापस कर दी जायेगी।

6– निविदा की दरें खोले जाने की तिथि से 90 दिनो तक वैध होगी।

7– निविदा में विनिर्दिष्ट वाहन की ही आर0सी0 मान्य होगी।

8– निविदा के साथ फर्म का पैन एवं सेवाकर नम्बर के साथ– साथ वाहन का पंजीयन, प्रदूषण मुक्त, टैक्सीपरमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, वाहन का बीमा प्रपत्र आदि संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा पात्र नही मानी जायेगी।

9– किसी भी निविदा प्रपत्र को स्वीकार करने/निरस्त करने/संशोधन/परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार जिला कार्यक्रम अधिकारी आजमगढ़ में निहित होगा, जिसे कहीं भी चैलेन्ज नही किया जा सकता।

10– टैक्सी परमिट का सत्यापन में यदि आपकी परमिट/अन्य अभिलेख सही न पाये जाने पर निरस्त कर दिया जायेगा।

मै घोषणा करता/करती हू कि उपरोक्त समस्त सूचना सत्य है, कोई भी तथ्य मेरे द्वारा छिपाये नहीं गये हैं।

प्रमाण पत्र

वाहन संख्या..................................पर न तो किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है और न ही कोई न्यायायिक वाद लम्बित है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचना/अभिलेख असत्य पाया जाता है, तो मेरे विरूद्ध कोई भी वैधानिक कार्यवाही की जा सकती है, जो मुझे मान्य होगा।

दिनांक :

संलग्नक : हस्ताक्षर

एजेन्सी/फर्म/वाहन स्वामी का नाम

पूरा पता एवं मो0नं0.........................